रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 11, 1982/माघ 22, 1903
No. 45] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 11, 1982/MAGHA 22, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1982

**सा०का०नि० 60 (अ)/आ०अ०/ईख.**—केन्द्रीय सरकार, ईख (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और उसके उपखण्ड (1) में वर्णित विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्राधिकारियों, निकायों, और संगमों से परामर्श करने के पश्चात् जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझती है, और ईख की आधारिक न्यूनतम कीमत 13.00 रुपये प्रति क्विंटल के आधार पर जो 8.5 प्रतिशत या उससे कम वसूली से सहबद्ध है, जिसके साथ 8.5 प्रतिशत से अधिक की प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वसूली की वृद्धि पर 15.2941 पैसे प्रति क्विंटल का प्रीमियम है, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट कीमत को उस न्यूनतम कीमत के रूप में नियत करती है जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यात पात्र प्रक्रिया वर्ष ईख के कारखाने के स्वामियों द्वारा या उनके अभिकर्ताओं द्वारा उनके कारखाना द्वार पर या किसी अन्य केन्द्र पर 30 सितम्बर, 1982 को

समाप्त होने वाले ईख वर्ष 1981-82 के लिए परिवर्तन ईख के लिए संदेय होगी किन्तु ऐसा उक्त आदेश के खण्ड 3क के अधीन उसके लिए संदेय रिबेट के अधीन रहते हुए किया जाएगा।

अनुसूची

| क्रम संख्या | कारखाने का नाम | ईख की रुपयों में प्रति क्विंटल न्यूनतम कीमत |
|---|---|---|
| 1. | बरगढ़ कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो०आ० टोरा (बरगढ़) जिला सम्बलपुर (उड़ीसा) | 13.00 |

[सं० 3-5/81-एस०पी०वाई (डी-2)]
सी० एन० राघवन, संयुक्त सचिव
(चीनी)

## MINISTRY OF AGRICULTURE

**(Department of Food)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 1982

**G.S.R. 60(E)/Ess.Com./Sugarcane.**—In exercise of the powers conferred by clause 3 of the Sugarcane (Control) Order, 1966, and having regard to the various factors mentioned in sub-clause (1) thereof, the Central Government, after consultation with such authorities, bodies and associations as are considered necessary by it to be consulted and on the basis of the basic minimum price of sugarcane at Rs.13.00 per quintal linked to a recovery of 8.5 per cent or below with a premium of 15.2941 paise per quintal for every 0.1 per cent increase in recovery above 8.5 per cent, hereby fixes the price specified in column (3) of the Schedule hereto annexed as the minimum price that shall be payable by the owner of the vacuum pan process sugar factory specified in corresponding entry in column (2) of the said Schedule or their agents for sugarcane delivered at the gate of the factory or any purchasing centre for the sugar year 1981-82, ending the 30th September, 1982, subject to the rebates, payable, therefor, under clause 3A of the said Order.

SCHEDULE

| Sl. No. | Name of the factory | Minimum sugarcane price in rupees per quintal |
|---|---|---|
| 1. | Bargarh Coop. Sugar Mills Ltd. P.O Tora (Baragarh) District Sambalpur (Orissa) | 13.00 |

[No.3-5/81-SPY(D1I)]
C. N. RAGHAVAN, Jt. Secy.
(Sugar)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982